न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदारामR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 11/2014

वादीनीः–

1. हरीराम पुत्र मंगलाराम
2. चौथाराम पुत्र मंगलाराम
   जातियान जाट निवासी भुण्डाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उरजाराम पुत्र दौलाराम
2. घीसाराम पुत्र दौलाराम
3. धनाराम पुत्र दौलाराम
4. जितेन्द्र पुत्र जोधाराम
5. सुनिता पुत्री जोधाराम
6. छोटीदेवी पत्नि जोधाराम
7. हरीराम पुत्र तेजाराम
8. रामनिवास पुत्र तेजाराम
9. केलीदेवी पत्नि तेजाराम
10. रामकिशोर पुत्र खींयाराम
11. बलवीर पुत्र खींयाराम
12. प्रकाश खींयाराम
13. सीता पत्नि खींयाराम
14. रामलाल पुत्र भोमाराम
15. हड़मानराम पुत्र भोमाराम
16. शंकरराम पुत्र भोमाराम
17. महेन्द्रसिंह पुत्र भोमाराम
18. तुलछीदेवी पत्नि भोमाराम
    सभी जातियान जाट निवासी भुण्डाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
19. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री मन्सुर अली छीपा वकील वादीगण की ओर से

श्री रामकिशोर सांखला व श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 31.03.2022

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भुण्डाना की राजस्व सीमा मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से अठारह की खाता संख्या 89 खसरा नं. 102 29 बीघा 10 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 103 21 बीघा 19 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 642 17 बीघा 17 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 662 27 बीघा 17 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. ... 05 बीघा 17 बिस्वा बारानी ए., खसरा नं. 875 13 बीघा 15 बिस्वा बारानी ए. कुल खसरा 6 कुल रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है। उक्त वर्णित आराजी को आगे वादपत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 मय ट्रेस नक्शा के संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा

31/3/22
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रतिवादी संख्या 7 से 18 का 1/3 वां हिस्सा है। इस प्रकार वादी हरीराम का 1/3 स्सा मे से 1/2 वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मे 1/6 वां हिस्सा है तथा इसी कार वादी चौथाराम का भी 1/3 हिस्सा मे से 1/2 वां हिस्सा है इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रस्त आराजी मे वादी चौथाराम का 1/6 वां हिस्सा है माफिक हक हिस्सानुसार क्षकारान शामलाती रूप से साहुलियत अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त करते आ रहे है। ग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाडा किया हुआ नही है। वादीगण व तिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर माफिक हक हिस्सानुसार साहुलियत अनुसार काबिज होकर श्त करते आ रहे है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का माफिक हिस्सानुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाडा करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या दो व तीन टाल टोल करते आ रहे है तथा बंटवाडा करवाने मे आना कानी कर रहे है। वादीगण वादग्रस्त राजी के सहखातेदार काश्तकार है इसलिए वादीगण को अपनी वादग्रस्त आराजी का माप सीमांकन के अनुसार बंटवाडा करवाने का पूर्ण अधिकार है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी माफिक हक हिस्सानुसार बंटवाडा करवाने हेतु कहा लेकिन दिनांक 30.01.2014 को तिवादी संख्या दो व तीन ने वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करवाने से साफ इन्कार कर या तथा ऐलानिया रूप से धमकी दी कि राजस्व रेकर्ड मे हम प्रतिवादी संख्या दो व तीन नाम संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है इसलिए हम वादग्रस्त आराजी से वादीगण को खल कर देंगे व वादग्रस्त आराजी पर काश्त नही करने देंगे जबकि उन्हे ऐसा करने का ई विधिक अधिकार नही है जिसके लिए वादीगण को उक्त वादपत्र बंटवाडा एवं स्थायी षेधाज्ञा हेतु पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 19 को भूमिधारी होने से तरदीदी कार बनाया गया है जिनसे अलग से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है।

दीगण के हक मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम भुण्डाना की जस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 102,103, 642, 662, 874, 875 कुल सरा 6 कुल रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य माफिक हक स्सानुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाडा की डिकी सादिर फरमावे व पक्षकारान के ने जाने हेतु रास्ता कायम दिया जाकर राजस्व ट्रेस नक्शा तरमीम किया जावे व वादीगण अपने बंट हिस्सा की जमीन का अलग से लगान कायम किया जाने का आदेश फरमावे।

दीगण के हक मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम भुण्डाना की जस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी जो वादपत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित है का टवाडा होने के पश्चात वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी कार की दखलंदाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावे।

दी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 की ओर वकील ओमप्रकाश कच्छावाह व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील सोहनलाल धरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से जवाबदावा काउन्टर वाद पेश किया । वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने जवाब दावा प्रस्तुत किया है वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से 18 की खाता संख्या 89 खसरा नं. 102 29 बीघा बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 103 21 बीघा 19 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 642 17 17 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 662 27 बीघा 17 बिस्वा बारानी प्रथम, खसरा नं. 05 बीघा 17 बिस्वा बारानी ए., खसरा नं. 875 13 बीघा 15 बिस्वा बारानी ए. कुल

31/3
उपखण्ड अधिकारी

खसरा 6 कुल रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा संयुक्त खातेदारी जमीन ग्राम मुण्डाना की राजस्व सीमा मे आयी हुई है। वादपत्र का पद संख्या दो सही होने से स्वीकार है इस पद मे वादीगण ने वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा दर्शाया है वादीगण का वादग्रस्त आराजी 1/3 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 18 1/3 वां हिस्सा है। इस प्रकार वादी हरीराम का 1/3 हिस्सा मे से 1/2 वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मे 1/6 वां हिस्सा है।इसी प्रकार वादी चौथाराम का भी 1/3 हिस्सा मे से 1/2 वां हिस्सा है इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मे वादी चौथाराम का 1/6 वां हिस्सा है माफिक हक हिस्सानुसार पक्षकारान संयुक्त रूप से शामलाती काश्त करते रहे है। वादपत्र का पद संख्या तीन सही होने से स्वीकार है वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण माफिक हिस्सानुसार साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे है। इसी प्रकार वकील ओम्प्रकाश कच्छावाह ने काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं तीन का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 102, 103, 642, 662, 874, 875 कुल खसरा 6 कुल रकबा 115 बीघा 1 बिस्वा भूमि 45 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़े के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया है । प्रतिवादी तीन के बंट में खसरानम्बर 642 में से 3 बीघा भूमि एवं खसरा नम्बर 662 में से 9 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 3 के कब्जा अनुसार बंटवाड़े में रखी जावें । आवागमन हेतु शामलाती रास्ता कायम करते हुए प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें । प्रतिवादी सं. 3 बंट एंव कब्जे वाली भूमि के उपयोग उपभोग में वादीगण व प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न नही करें । वकीन वादीगण ने प्रतिवादी सं. 3 के काउन्टर वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 115 बीघा 01 बिस्वा में खसरानम्बर 642 में से 03 बीघा व 662 मे से 8 बीघा भूमि उसके के हिस्से में रखने का कथन किया है जो गलत है क्योकि आज दिन तक किसी भी खसरे का माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा नही हुआ है व प्रतिवादी सं. 3 जबरदस्ती रूप से ...के की जमीन पर कब्जा करने व हडप करने पर उतारू है । इसलिए प्रतिवादी सं. 3 किसी प्रकार से वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अपना काउन्टर वाद विरूद्ध वादी स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है ।

...लावली मे तनकीयात के बिन्दु कायम किये गये :-

1. आया ग्राम भुण्डाणा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड अनुसार अपने हक व हिस्सानुसार माप एवं सीमांकन के रास्तो के साथ बंटवाड़ा करवाने के नक्शे में तरमीम व अलग से लगान कायम करवाने के अधिकारी है ।

(जिम्मे वादीगण)

2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक व हिस्से में कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करें ना अन्य से करावें ।

(जिम्मे वादीगण)

3. आया प्रतिवादीगण सं. 3 का कांऊटर वाद गलत तथ्यो पर आधारित होने से काबिज ए खारिज है ।

31/3

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
...(जोधपुर)

(जिम्मे वादीगण)

4. आया प्रतिवादी सं. 3 वादग्रस्त आराजी का 45 वर्षो से पूर्व हुए पारिवारिक बंटवाड़े व कब्जेनुसार बंटवाड़ा करवाने तथा खसरा नम्बर 642 में 3 बीघा भूमि कटाणी रास्ते के सहारे व खसरानम्बर 662 में बीच में 9 बीघा भूमि का बंटवाड़ा विरूद्ध वादीगण माप एवं सीमांकननुसार करवाने का अधिकारी है ।

(जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 3)

5. आया प्रतिवादी सं. 3 के हक हिस्से की भूमि में वादीगण कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 3 विरूद्ध वादीगण के प्राप्त करने का अधिकारी है ।

(जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 3)

कीवार समस्त तनकीओ की विवेचना की गई । जिनमें से अधिकांश तनकीयात वादी के में निर्णित की गयी । प्रतिवादी इनको साबित करने में असफल रहें ।
ील वादी ने वादी साक्ष्य प्रस्तुत किये भंवरीदेवी,व हरीराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये। ी प्रकार वकील प्रतिवादी ने धन्नाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया । वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य नही किये जाने पर उनकी प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर गया तथा पत्रावली में ...न समस्त दस्तावेजो एवं वकील प्रतिवादीगण का जवाबदावा, काउन्टर वाद, काउन्टर वाद जवाब का अवलोकन किया जाकर तथा दोनो वकीलो की बहस सुनी जाकर वादीगण का ... स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ...जस्व ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 102, 103, 642, 662, 874, 875 कुल खसरा 6 कुल ...बा 115 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्यायालय हाजा से जारी ...थमिक डिक्री दिनांक 05.06.2018 की पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राथमिक ...क्री की पालना में प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 11.03.2022 के बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा ... 3 अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अंकन करे । तहसीलदार ...पाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 11.03.2022 निर्णय का भाग रहेगा । इस ...शय की अन्तिम डिक्री जारी हो ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.03.2022 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

...अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास दूदाराम R.A.S.

हरीराम वगैरा बनाम उरजाराम वगैरा

...बाबत 53,88,188 आर टी एक्ट   राजस्व मूल वाद संख्या 11 / 2014

...मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व वकुलाय हाजरी वकील मंन्सुर अली छीपा मनजानिब ...वकील रामकिशोर सांखला एवं ओमप्रकाश कच्छावाह मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया ...है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश ...जाता है कि राजस्व ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 102, 103, 642, 662, 874, 875 कुल ...6 कुल रकबा 115 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्यायालय ...से जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2018 की पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर से ...मिक डिक्री की पालना में प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 11.03.2022 के बंटवाड़ा प्रस्ताव के ...सं. 3 अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अंकन करे । तहसीलदार ...ड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 11.03.2022 निर्णय का भाग रहेगा । इस आशय ...अन्तिम डिक्री जारी हो ।

...खर्चा इस मुकदमें ...त ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............

...फीसदी सालाना आज की तारीख से ...मय सूद व शरद..............................शून्य.................................

...ख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.03.2022 को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर))

	रुपया	पै.	मुदायला	रुपया	पै.
...टाम्प अरजोदावा ...टाम्प वकालतनामा ...टाम्प वजह सबूत ...हनताना वकील ...र्चा गवाहान ...स कमिश्नर ...बत इजराय हुकमनामा ...तफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान..........			मीजान........		

...ट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या ...ी दर्ज करना चाहियें।

(हस्ताक्षर) 31/3

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर))